भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1798

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन

1798. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा वर्ष 2014 से सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक और विशेष रिपोर्टों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और संरक्षण के संबंध में इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी प्रतिवेदनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक स्वीकार की गई और कार्यान्वित की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और शेष सिफारिशों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण एवं विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशों सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। ये सिफारिशें व्यापक रूप से आयोग के समक्ष उठाए गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित होती हैं, जिनमें शिक्षा, परिवहन संपर्क, धार्मिक एवं विरासत स्थलों का संरक्षण, सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं का समावेशन, पारंपरिक भाषाओं का संवर्धन, छात्रवृत्तियों एवं विकासात्मक निधियों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना, महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना तथा पर्यटन एवं क्षेत्रीय विकास के लिए सहायता जैसे विषय शामिल है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से ज्ञापन तैयार किया जाता है। वर्तमान में, मंत्रालय वार्षिक रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में है, ताकि परामर्श प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उक्त रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जा सके।
